HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 466/2021

Bhonri Lal S/o Shri Laduram Gurjar & Ors.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan & Anr.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Sharma, through VC
For Respondent(s)	:	Mr. Atul Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

20/01/2021

याची–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह याचिका पुलिस थाना, श्यामनगर, जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–274/2020 अपराध अंतर्गत धारा 420,467,468,471,120बी भारतीय दण्ड संहिता की कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ पेश की गई है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें रही हैं कि याची–अभियुक्तगण के खिलाफ सर्वथा मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। परिवादी पक्ष याची–अभियुक्तगण के खातेदारी की जमीन से होकर रास्ता निकालना चाहता है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद विचाराधीन

है। इस न्यायालय से विवादित जमीन की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रभावी है, फिर भी झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और अग्रिम कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है, अतः अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगाई जाए एवं याचीगण को किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही से संरक्षण प्रदान किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक ने उचित निर्देश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Haryana Vs. Bhajan Lal : {1992 (supp)1 SCC 335} में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के क्रम में उठाये गये अन्य आधारों का खुलासा अनुसंधान के पश्चात ही हो सकता है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P. Chidambaram Vs. Directorate of Enforcement (2019) 9 SCC 24 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान जांच अधिकारी के क्षेत्राधिकार का विषय है। सामान्य तौर पर न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण के अनुसंधान में हस्तक्षेप किया जाना वांछनीय नहीं है साथ ही अभियुक्त को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु विधि में उपलब्ध उपचार हेतु कार्यवाही का अधिकार है।

उपरोक्त विधिक स्थिति की रोशनी में, प्रकरण के अनुसंधान पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है, तथापि प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना, निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में अनुसंधान जारी रहेगा। याची–अभियुक्तगण अनुसंधान कार्यवाही में भाग लेंगे एवं दिनांक 30.01.2021 को अथवा उसके पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और तत्पश्चात जब कभी अनुसंधान अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होंगे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा

अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात पुलिस रिपोर्ट (चालान/एफ.आर.) संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी, लेकिन याचीगण को सात दिवस का पूर्व नोटिस दिये बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि याची–अभियुक्तगण में से कोई भी अभियुक्त यदि अनुसंधान में उपस्थित नहीं होता है तो अनुसंधान अधिकारी आवश्यक होने पर उसे जमानत आदेश (यदि कोई हो) के अध्यधीन गिरफ्तार करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

विद्वान लोक अभियोजक अनुसंधान की तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी पेशी पर पेश करेंगे।

प्रकरण दिनांक 11.02.2021 को सूचीबद्ध किया जाए।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Pradeep Thawani /83